

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4626

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

यूनानी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को बढ़ावा देना

4626. श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को बढ़ावा देने और इसे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति की वैश्विक स्वीकार्यता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए इसमें साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को किस प्रकार सहायता दे रही है;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि विकसित यूनानी चिकित्सा तकनीकी जनता के लिए सुलभ और वहनीय हों;
- (घ) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों को पूरा करने के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति के मानकीकरण और विनियमन हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और
- (ङ) क्या यूनानी औषधि विनिर्माण इकाइयों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अच्छी विनिर्माण पद्धति (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) जैसी वैश्विक मान्यताप्राप्त करने के लिए कोई पहल की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): यूनानी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने यूनानी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा एवं अनुसंधान, जिसमें नई औषधियों के विकास के साथ-साथ वैज्ञानिक तर्ज पर नैदानिक परीक्षण करना शामिल है, के लिए केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), नई दिल्ली और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बेंगलुरु की स्थापना की है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का, 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ एक अनुषंगी संस्थान भी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सीसीआरयूएम के तहत देश भर में कुल 21 नैदानिक संस्थान/इकाइयां भी कार्य कर रही हैं। सीसीआरयूएम और एनआईयूएम दोनों ने विभिन्न रोगों के लिए अनेक नैदानिक अनुसंधान अध्ययन किए हैं जिनमें गठिया, ब्रॉन्कियल अस्थमा, रक्ताल्पता, चिंता, अवसादग्रस्तता संबंधी विकार, तंत्रिका-अपक्षयी रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा, डिस्लिपिडेमिया, मधुमेह जैसे जीवन-शैली संबंधी विकार और विटिलिगो आदि जैसे विभिन्न चर्म रोग शामिल हैं।

यूनानी सहित आयुष पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ने के लिए आयुष मंत्रालय अनेक पहलें कर रहा है जैसे:

i. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा स्थापित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत आयुष वर्टिकल, आयुष-विशिष्ट

जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह वर्टिकल जन-स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, आयुष शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए रणनीति विकसित करने में दोनों मंत्रालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ii. डीजीएचएस के तहत आयुष वर्टिकल ने सामान्य मस्कुलोस्केलेटल विकारों, इसकी रोकथाम और प्रबंधन पर यूनानी पद्धति सहित आयुष पद्धतियों के माध्यम से मानक उपचार दिशानिर्देश (एसटीजी) प्रकाशित किए हैं। आयुष चिकित्सकों की क्षमता बढ़ाने के लिए, आयुष वर्टिकल ने इन विकसित एसटीजी पर सभी राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी) के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का मास्टर प्रशिक्षण आयोजित किया है, ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं तक उनका प्रभावी ढंग से प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।

iii. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) ने एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों में संयुक्त रूप से एकीकृत आयुष विभागों की स्थापना की है। इस पहल के हिस्से के रूप में, एकीकृत चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई है और इसका वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज तथा सफदरजंग अस्पताल एवं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में परिचालन किया जा रहा है।

iv. भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की कार्यनीति अपनाई है ताकि रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प उपलब्ध हो सके। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है, जबकि आयुष बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर तथा औषधियों के लिए सहायता राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जाती है।

v. देश में यूनानी चिकित्सा को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल करने की दृष्टि से, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल-नई दिल्ली; दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल-नई दिल्ली; अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए)-नई दिल्ली; सफदरजंग अस्पताल-नई दिल्ली; आयुष आरोग्य केंद्र, राष्ट्रपति भवन-नई दिल्ली; जमशेदजी जीजीभोय (जेजे) अस्पताल-मुम्बई तथा कन्नूर, केरल स्थित यूनानी विस्तार अनुसंधान केन्द्र के पुनर्वास/विस्तार केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि लोगों को सुलभ और सस्ती यूनानी उपचार सुविधा उपलब्ध हो सके।

(ख): आयुष मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की केंद्रीय क्षेत्र योजना विकसित की है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय, आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुष औषधि विनिर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवर्धन, विकास तथा मान्यता दिलाने में मदद देता है; हितधारकों के बीच बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देता है; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के माध्यम से शिक्षाविदों और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता एवं रुचि बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करता है।

(ग): केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें कर रही है, जैसे परिषद के 21 नैदानिक संस्थानों/इकाइयों द्वारा संचालित सामान्य

ओपीडी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य ओपीडी, वृद्धावस्था ओपीडी, गैर-संचारी रोग क्लीनिक आदि के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराना। सीसीआरयूएम, नैदानिक मोबाइल अनुसंधान कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, अनुसूचित जाति उप-योजना/जनजातीय उप-योजना मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आदि के माध्यम से भी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा दे रही है।

सीसीआरयूएम, पूर्व-नैदानिक एवं नैदानिक अनुसंधान, औषधि मानकीकरण अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान आदि सहित विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है ताकि लोगों तक उनकी पहुंच और सामर्थ्यता सुनिश्चित की जा सके। पांच मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं और इलाज-बित तदबीर (आईबीटी) पर मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की जा रही हैं। मस्कुलोस्केलेटल विकारों पर मानक उपचार दिशानिर्देश भी विकसित किए गए हैं।

(घ): यूनानी चिकित्सा पद्धति के मानकीकरण और विनियमन के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने विनियमों को अधिसूचित किया है और स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर के लिए योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम तैयार किया है।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। आयुष मंत्रालय की ओर से पीसीआईएम एंड एच आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देश तथा भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा इसके तहत निर्मित नियम 1945 के अनुसार, इसमें शामिल एएसयू एंड एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में काम आते हैं, और भारत में जिन एएसयू एंड एच औषधियों का विनिर्माण, बिक्री और भंडारण किया जाता है, उनके उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है।

आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक (एएसयू एंड एच) औषधियों की भेषजसंहिताओं और फॉर्मूलरियों में शामिल गुणवत्ता मानकों, जो अनिवार्य नियामक मानक निर्धारित करते हैं, की पहचान डब्ल्यूएचओ और दुनिया भर में प्रचलित अन्य प्रमुख भेषजसंहिताओं द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप की गई है। इन भेषजसंहिता मानकों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि औषधियां निरंतरता, पहचान, शुद्धता और शक्ति के संदर्भ में बेहतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं।

(ङ): फार्मास्यूटिकल उत्पाद प्रमाणन (सीओपीपी) योजना, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार है, का आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी (एएसयू) औषधियों तक विस्तार किया गया है। यह योजना केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा प्रशासित की जाती है और यह प्रमाण-पत्र केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, आयुष मंत्रालय तथा संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा आवेदक विनिर्माण इकाई के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर प्रदान किया जाता है।

आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना यथा आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) कार्यान्वित की है। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- i. आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक औषधियों तथा स्वास्थ्य संवर्धन उत्पादों का निर्यात बढ़ाना।
- ii. आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकीकरण, गुणवत्ता निर्माण तथा विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त ढांचागत और तकनीकी उन्नयन करना एवं संस्थागत गतिविधियों के लिए सहायता देना।

- iii. आयुष औषधियों के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा देखरेख, तथा भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना।
- iv. आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकों तथा उनकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए समन्वय, सहयोग और सम्मिलित दृष्टिकोण के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
